# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## अपील संख्या : 2020/00084

1. रतनलाल आयु 73 वर्ष आत्मज स्व0 श्री छीतर लाल जाति जाट निवासी ग्राम प्रहलादपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. सुरेश चन्द आत्मज स्व0 श्री छीतरलाल जाति जाट निवासी ग्राम प्रहलादपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. स्व0 श्रीमती भंवरी बाई पुत्री स्व0 श्री छीतरलाल पत्नी स्व0 धन्ना लाल जाति जाट निवासी ग्राम हरिजी का नीमोदा तहसील दीगोद जिला कोटा जरिये कायममुकामान :–
   3/1. हेमराज आत्मज स्व0 धन्ना लाल जाति जाट निवासी ग्राम हरिजी का नीमोदा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
   3/2. दशरथ आत्मज स्व0 धन्नालाल जाति जाट निवासी ग्राम हरिजी का नीमोदा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. श्रीमती लीला पुत्री स्व0 श्री छीतरलाल पत्नी रामचन्द्र जी जाति जाट निवासी ग्राम नगपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. श्रीमती चन्द्रकान्ता पुत्री स्व0 छीतर लाल पत्नी श्री हरिनारायण जाति जाट निवासी ग्राम सलोनिया तहसील सांगोद जिला कोटा ।
6. रामस्वरूप आत्मज स्व0 रमेश चन्द जाति जाट निवासी ग्राम प्रहलादपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
7. किशन आत्मज स्व0 रमेश चन्द जाति जाट निवासी ग्राम प्रहलादपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
8. राकेश आत्मज स्व0 रमेश चन्द जाति जाट निवासी ग्राम प्रहलादपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
9. पप्पू उर्फ मनोज आत्मज स्व0 रमेश चन्द जाति जाट निवासी ग्राम प्रहलादपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
10. श्रीमती मोना बाई पुत्री स्व0 रमेश चन्द जी पत्नी श्री कौशल जाति जाट निवासी ग्राम रामनगर पोस्ट रामनगर तहसील बून्दी जिला बून्दी ।
11. श्रीमती ललता बाई पत्नी स्व0 रमेश चन्द जाति जाट निवासी ग्राम प्रहलादपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

**बनाम**

1. घनश्याम आत्मज स्व0 श्री बंशीलाल जाति जाट निवासी ग्राम मोतीपुरा पोस्ट भीमपुरा कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

2. भीमराज आत्मज स्व0 श्री बंशीलाल जाति जाट निवासी ग्राम मोतीपुरा पोस्ट भीमपुरा कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. राजेश आत्मज स्व0 श्री बंशीलाल जाति जाट निवीस ग्राम मोतीपुरा पोस्ट भीमपुरा कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. आनन्दी लाल आत्मज स्व0 बंशीलाल जाति जाट निवासी ग्राम मोतीपुरा पोस्ट भीमपुरा कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. श्रीमती काली बाई पत्नी स्व0 श्री बंशीलाल जाति जाट निवासी ग्राम मोतीपुरा पोस्ट भीमपुरा कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. श्रीमती जशोदा बाई पुत्री स्व0 श्री बंशीलाल पत्नी श्री रामेश्वर जाति जाट निवासी हनुमान जी के मंदिर के पास गोविन्द नगर, डी0सी0एम0 रोड, कोटा ।
7. जगन्नाथी बेवा घांसी लाल वर्तमान पति हीरालाल जाति जाट निवासी मकान नं0 02–ग–33 टीचर्स कॉलोनी केशोपुरा कोटा ।
8. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
9. निर्मला बाई पुत्री स्व0 रमेश चन्द जी पत्नी कुन्दन जाति जाट निवासी ग्राम काल्याखेडी पोस्ट पीपल्दया तहसील पचपहाड जिला झालावाड ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महेश शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

## निर्णय

दिनांकः 10.03.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.02.2020 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम प्रहलादपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में कुल 15 किता की 11.44 हैक्टर भूमि स्थित है । छीतर लाल के घांसी लाल पुत्र था जिसकी शादी जगन्नाथी बाई के साथ हुई थी । घांसी लाल की मृत्यु के बाद जगन्नाथी बाई नाते चली गई । वादीगण के पिता अपने जीवनकाल में एक न्यायिक विवाद आ जाने से ग्राम प्रहलादपुरा छोडकर ग्राम मोतीपुरा आकर निवास करने लगे इसका फायदा उठाकर प्रतिवादीगण ने उक्त समस्त भूमि पर कब्जा कर लिया । उक्त आराजी पैतृक भूमि है जिसमें वादीगण का 1/8 हिस्सा है और वादीगण अपने हिस्से की आराजी को प्राप्त करने के अधिकारी हैं ।

3. अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन किया जाकर वादी को अपने हिस्से पर तन्हा कब्जा दिलाया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.02.2017 के द्वारा वाद वादीगण खारिज कर दिया । उक्त आदेश से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की जिसमें न्यायालय हाजा ने अपने आदेश दिनांक 12.03.2019 के द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेशों की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर करते हुए अपने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.02.2020 के द्वारा वादी वादीगण स्वीकार करते हुए विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित कर दी ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.02.2020 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 6 द्वारा उक्त वाद प्रस्तुत किया था जिसे प्रतिवादीगण अपीलान्ट द्वारा कन्टेस्ट किया गया था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद को दिनांक 11.02.2017 को सही रूप से खारिज कर दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री की अप्रसन्नता से वादीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 01 लगायत 6 ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील प्रस्तुत की जिसे दिनांक 12.03.2019 के द्वारा दिशा–निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड कर दिया था । प्रतिवादीगण अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय ने नोटिस जारी नहीं किये इसलिए वे अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके और अपनी ओर से पैरवी करने हेतु वकील भी नियुक्त नहीं किया था । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.02.2020 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण अपीलान्ट को सूचना दिये बिना ही उनकी अनुपस्थिति में निर्णय एवं डिक्री पारित की है । प्रतिवादी अपीलान्ट को उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 07.07.2020 को पटवारी हल्का द्वारा निर्णय के बारे में बताने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के बाबत् अधीनस्थ न्यायलाय ने प्रारम्भिक डिक्री पारित करने में त्रुटि की है । रेस्पोडेन्टगण ने दावा पेश किया था जिसको अपीलान्टगण ने कन्टेस्ट किया था । इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 12.03.2019 को प्रकरण रिमाण्ड किया

गया था । अपीलान्टगण इस न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए थे और इस न्याालय के द्वारा दिनांक 29.04.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारों के उपस्थित होने के लिए पाबन्द किया गया था । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण को कोई सूचना नहीं दी है बिना सूचना दिये एकपक्षीय कार्यवाही की है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत है । प्रतिवादी संख्या 03 भंवरी बाई की दिनांक 23.01.2018 को मृत्यु हो चुकी है । वादीगण की जानकारी में यह तथ्य था फिर भी कायममुकामान को रिकॉर्ड पर लिये बिना मरे हुए व्यक्तियों के खिलाफ निर्णय पारित किया गया है जो Nullity है । पक्षकारों के मध्य पूर्व में बंटवारा हो चुका है । रेस्पोडेन्टगण का वादग्रस्त आराजी पर कभी कब्जा नहीं रहा है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 29.04.2019 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित होने के लिए पाबन्द किया था और परीक्षण न्यायालय ने पत्रावली रिमाण्ड होने के बाद दिनांक 29.04.2019 को पेश नहीं हुई वरन् दिनांक 30.04.2019 को पेश हुई । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.02.2020 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2017 (2) पेज 1047 उद्धरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा पेश किया गया था जिसमें पक्षकारों के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई है । प्रारम्भिक डिक्री में क्या त्रुटि की है यह अपीलान्ट ने स्पष्ट नहीं किया है । भंवरी बाई के कायममुकामान के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया जा चुका था । विभाजन का दावा है जो सन् 1997 से लम्बित है । अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड होने के बाद उपस्थित नहीं हुए हैं वे दिनांक 30.04.2019 के बाद भी किसी तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हुए हैं । राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार विभाजन की डिक्री पारित की गई है जो विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.02.2020 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 12.03.2019 को प्रकरण परीक्षण न्यायालय को रिमाण्ड किया गया था ओर रिमाण्ड आदेश में ये निर्देश दिये गये थे कि जगन्नाथी बाई जो कि सहखातेदार दर्ज है उसे भी पक्षकार बनाया जावे । पक्षकारों को दिनांक 29.04.2019 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित होने के लिए पाबन्द किया गया था । अधीनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड के उपरान्त प्रथम पेशी दिनांक 30.04.2019 निहित की गई है । इस न्यायालय में अपीलान्टगण उपस्थित नहीं हुए थे । ऐसी स्थिति में परीक्षण न्यायालय को उन्हें नोटिस जारी करने चाहिए थे जो जारी नहीं करके उनके खिलाफ दिनांक 20.06.2019 को एक तरफा कार्यवाही की गई है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि भंवरी बाई के कायममुकामान को रिकॉर्ड पर लिये बिना परीक्षण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है। इस न्यायालय के द्वारा अपने रिमाण्ड निर्देशों में जगन्नाथी बाई को पक्षकार बनाने के निर्देश दिये गये थे । अधीनस्थ न्यायालय ने जगन्नाथी बाई को पक्षकार बनाया है परन्तु उनके उपस्थित नहीं आने पर उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई है । पत्रावली पर जो नकल जमाबन्दी प्रदर्श–1 संलग्न है उसमें जगन्नाथी बाई बेवा घांसी लाल का 1/9 हिस्सा दर्ज है और नकल जमाबन्दी संवत् 2054–57 में भी जगन्नाथी बाई बेवा घांसीलाल का 1/9 हिस्सा दर्ज है और नकल जमाबन्दी संवत् 2066–69 प्रदर्श–2 में जगन्नाथी बाई का हिस्सा

दर्ज नहीं है । परीक्षण न्यायालय ने नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 2 में दर्ज हिस्से के अनुसार विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की है । ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि जगन्नाथी बाई का हिस्सा किस आधार पर समाप्त किया गया है । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा उद्धरत नजीर आरआरटी 2017 (2) पेज 1947 भी यहॉ चस्पा होती है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.02.2020 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्टगण को जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए पैरा संख्या 11 में किये गये विवेचन के मध्यनजर पत्रावली प्राप्ति के 06 माह के अन्दर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । इस न्यायालय में जो पक्षकार उपस्थित हुए हैं उनको पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 29.04.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों । शेष पक्षकारान की तलबी कर उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पत्रावली प्राप्ति के 06 माह के अन्दर निर्णय पारित करें ।

13. निर्णय आज दिनांक 10.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

10/3/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा